न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–76/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रणजीता पुत्र भौरया जाति कोली – मृतक
   1/1. श्रीमती लाडो बेवा रणजीता,
   1/2. गिरधारी पुत्र स्व0 रणजीता,
   1/3. मुंशीराम पु. स्व0 रणजीता निवासीयान ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
   1/4. बिमला उर्फ उर्मिला पुत्री रणजीता पत्नि पूर्ण निवासी टहला तहसील राजगढ ।
   1/5. रेसी उर्फ रेशम पुत्री रणजीता निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ ।
   1/6. मीरा पुत्री रणजीता पत्नि किशन निवासी मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ ।
   1/7. ममता पुत्री रणजीता पत्नि मोहन निवासी ग्राम बरखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

.....अपीलांटा

बनाम

1. चौखाराम पुत्र गोविन्दा जाति कोली ।
2. कालूराम पुत्र भौरया जाति कोली निवासीयान ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री शिवलहरी गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सर्वेश चन्द शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल ख0 नं0 1261/0.17 है0 वाके ग्राम खोह दरीबा तहसील राजगढ़ में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी सं0 1 की सह खातेदारी की आराजी है । अब पक्षकारान में आराजी के कब्जे काश्त को लेकर तनाजा रहता

8/5/18

है । इसलिए आराजी को पक्षकारान में मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किया जाकर खाता पृथक–पृथक कराना चाहते हैं । इसलिए वाद डिक्री कर आराजी का बंटवारा कर खाता पृथक करते हुए पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । चूंकि पत्रावली लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह दरीबा में रखते हुए दि0 01.07.2015 को दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा मुताबिक रिपोर्ट कुरेजात के अंतिम डिक्री कर दिया जिस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.07.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत अदालत ने अपनी दूसरी पेशी दिनांक 15.4.2011 की पेशी में अपीलांट/रेस्पो0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित कर दिये । पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रारम्भिक डिक्री के लिखित आदेश आदेशिका दिनांक 28.7.2011 के बाद लिखे गये हैं । दि0 15.4.2011 की पेशी के बाद आगामी पेशी 10.5.2011 लगायी गयी । इससे पहले ही प्रतिवादी/अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र पेश किया । दि0 22.9.2011 की आदेशिका से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया गया और जवाब प्रतिवादी को मौका दिया गया । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.2.2015 के अनुसार जवाब पेश होने पर कायमी तनकीयात निर्धारित हुई और आदेशिका दिनांक 1.7.2015 के अनुसार दावा वादी कैम्प कोर्ट खोह दरीबा में तहसीलदार के पत्रांक 21.6.2011 व आई.एल.आर. की कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 27.4.2011 से डिक्री किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस में कहा कि पत्रावली में कहीं भी कोई आदेश से कुरे रिपोर्ट को रेकार्ड पर नहीं लिया गया । पत्रावली तनकीयात में थी और कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में दावा वादी गलत रूप से डिक्री कर दिया । यह डिक्री लोक अदालत की भावना से नहीं की गयी है । बिना सहमति के दावा डिक्री किया गया है । अपीलांट को कहीं भी सुना नहीं गया है । सह खातेदारी के अन्य नम्बरान भी थे, उनका विभाजन क्यू नहीं कराया । मौके पर हम अधिक हिस्से पर काबिज थे । डिक्री की आड़ में हमें बेदखल करने पर वादी उतारू हैं ।

अपीलांट ने कानूनी बहस करते हुए कहा कि जब प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 में स्वीकार हो गया और जवाब को मौका दिया । तनकीयात कायम की जानी थी तो क्या पूर्व की प्राथमिक डिक्री निरस्त होने पर पुनः प्राथमिक डिक्री पारित क्यों नहीं की गई । क्या बिना प्राथमिक डिक्री कें अंतिम डिक्री पारित की जा सकती है । बहस में आगे कहा कि आदेशिका में कुरे रिपोर्ट का हवाला नहीं है । सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । हमें बिना नोटिस दिये और बिना सुने कुरे रिपोर्ट तैयार की गई है । अतः बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । अतः अपील मंजूर करके पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावें ।

4/8/2018

लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर कहा कि जैसे ही हमें नकल प्राप्त हुई । कानूनी कार्यवाही करके अपील पेश की है । डिले कन्डोन करने के कारण बताये हैं । आर.आर.डी. 2016 पेज 409, 410 तथा सैक्शन 53 पेश करके कहा कि पटवारी ने पक्षकारों को नोटिस ही नहीं दिया ।

जवाब बहस में वादी/रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि अंतिम डिक्री पर अपीलांट/प्रतिवादी की सहमति की आवश्यकता नहीं है । कोर्ट सोमोटो भी अंतिम डिक्री जारी कर सकती है । कैम्प कोर्ट में लोक अदालत और कैम्प कोर्ट दोनों की पावर होती है । निर्णय अनुसार पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई है । प्राथमिक डिक्री दि0 15.4.2011 में जारी हुई है । दि0 26.6.2011 को कुरे रिपोर्ट प्राप्त हुई है । उन पर कोई ऑब्जेक्शन फाईल नहीं हुआ है । प्रतिवादी/अपीलांट का केवल 4 ऐयर रकबा ही हिस्से में आता है । जहां इनके मकानात बने हुए हैं । इनको वो हिस्सा दे दिया है । तहत न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने में कोई कानूनी गलती नहीं की है ।

जवाब बहस में आगे कहा कि डिक्री की पालना रेकार्ड में की जा चुकी है । अपीलांट ने गलत नम्बरों के आधार पर अपील पेश की है । डिक्री का मूल ख0 नं0 1261 रकबा 17 ऐयर था जबकि अपील के ख0 नं0 2161 रकबा 17 ऐयर है । आदेश 6 नियम 17 से दि0 23.11.2017 को संशोधन चाहा था, जो स्थगन किया गया है वह ख0 नं0 2161 का था और उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया । इसलिए ख0 नं0 1261 पर स्थगन नहीं होने से डिक्री की पालना की जा चुकी है । भूतलक्षी प्रभाव से स्थगन आदेश लागू नहीं किया जा सकता है । अतः अपील खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 409, आर.आर.डी. 1990 पेज 479, आर.आर.डी. 1980 पेज 120, 121, आर.आर.डी. 1979 पेज 31, आर.आर.डी. 1987 पेज 547 एवं आर.आर.डी. 1984 पेज 154 प्रस्तुत किये ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस के बाद अपीलांट अभिभाषक के जवाबुल जवाब में कहा कि हमें कुरे रिपोर्ट पर आपत्ति का मौका ही नहीं दिया गया । कुरे रिपोर्ट रेकार्ड पत्रावली में नहीं आयी है । विभाजन के लिए यह कानूनी रूप से आवश्यक है कि मौके पर पहूंचने के लिए उभयपक्षों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है । कानून के विरूद्ध पारित निर्णय का कोई महत्व नहीं है । केस को प्रतिप्रेषित किया जावें । कैम्प कोर्ट में हमें सुना नहीं गया । यह भी प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है । अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया । कुरे रिपोर्ट और अंतिम डिक्री का अवलोकन किया गया । विभाजन के प्रकरणों के सन्दर्भ में कानूनन पहले प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है तथा उसके बाद कुरे रिपोर्ट तैयार करने से पहले उभयपक्षों को मौके पर तलब करने हेतु नोटिस दिया जाना आवश्यक है जैसाकि आर.आर.डी. 1995 पेज 475 शांति कंवर बनाम दरियाव कंवर में निहित किया गया है ।

द्वितीय बिन्दु यह भी पाया गया है कि सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार दावा के बाद जवाब दावा पेश होता है, तनकीयात कायम होती है । आदेशिका में तनकीयात बनाने बाबत आगामी तारीख पेशी दी है परन्तु न तो तनकीयात बनायी गयी और न ही कुरे रिपोर्ट को कहीं पत्रावली पर लिया गया और न ही सुना गया तथा कैम्प कोर्ट में आदेश पारित

8/3/18

किये गये । ऐसे में न्यायालय का मत है कि बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना तथा बिना उभयपक्षों को सुनवाई का मौका दिये बिना पारित आदेश कानून सम्मत नहीं है ।

यहां आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि जब आदेश 9 नियम 13 स्वीकार हो गया तो जाहिर है पूर्व की प्रारम्भिक डिक्री निरस्त हो गयी तो पुनः जवाब के बाद तनकीयात कायम करके प्रारम्भिक डिक्री जारी क्यूं नहीं की गयी ?

जहां तक डिक्री की पालना का प्रश्न है । प्रकरण में अपीलीय कोर्ट द्वारा तहत न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित किये जाने का स्थगन आदेश था । यदि अपील में ख0 नं0 1261 के स्थान पर 2161 लिख दिया गया है तो यह एक लिपिकीय त्रुटि है जो बाद में आदेश 6 नियम 17 के संशोधित भी कर दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.07.2015 को स्थगित किया गया था तो केवल इस बिनाय पर कि अपील व स्थगन में ख0 नं0 2161 रकबा 17 ऐयर अंकित था ना कि ख0 नं0 1261 रकबा 17 ऐयर । न्यायालय का मत है कि अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 01.07.2015 के आदेश की क्रियान्विति स्थगित कर दी थी चाहे लिखकर भूल से ख0 नं0 गलत अंकित हो गया । अधीनस्थ न्यायालय व पालना करने वाले राजस्व कर्मचारी भी तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2015 की पालना स्थगित की है । यह भी समझ सकते थे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सी.पी. सी. के विपरीत तथा न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है जो काबिल निरस्ती के है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है और अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करके पुनः प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित करके नियमानुसार कुरे रिपोर्ट प्राप्त करके तथा उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/5/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर